विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1227/वि0स0/संसदीय/17(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण)" के निदेश संख्या-159(1) को निम्नलिखित रूप में संशोधित कर दिया गया है :-

निदेश संख्या-159-(1) में संशोधन

सदस्यों में वितरण हेतु साहित्य

159-(1) विधान सभा के सदस्यों में वितरण हेतु जो साहित्य भेजा जाय उसकी 100 प्रतियां हिन्दी में एवं विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु उसकी सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 अथवा डी0वी0डी0 के रूप में) आनी चाहिये। यदि वही साहित्य अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है तो हिन्दी की प्रतियों के अतिरिक्त 25 प्रतियां अंग्रेजी में भी भेजी जायं। सरकारी विभागों को वह साहित्य जिस पर सदन को विचार करना है कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिये।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 1227(1)/वि0स0/संसदीय/17(सं)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
3-समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
4-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
5-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी/संसदीय कार्य विभाग,
7-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
8-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ,
9-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
10-उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी-एल0 123 विधान सभा (225)-26-10-2018-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर)।